कोटेशन सूचना

कोटेशन नोटिस संख्याः- 1014/प्रकाशन

दिनाक - 05/02/2025

विषयः— सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षा फरवरी/मार्च—2025 से सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु निर्देश पुस्तिका मुद्रण बारे।

सैकेण्डरी एवं सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) परीक्षा फरवरी/मार्च-2025 से सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षकों एवं पर्यवेक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु निर्देश पुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए कोटेशन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण संलग्न अनुबंध—। में दिया गया है, जो अनुबंध—। में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अधीन है। कोटेशन (दिनांक) 07/02/2025 को 03.00 PM बजे तक ई—मेल आईडी ratesbseh@gmail.com पर भेजी जानी है।

यदि कोटेशनकर्ता इन सभी निर्देशों / नियमों व शर्ती (जैसा कि अनुबंध—ाा में है) का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, तो कोटेशन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी की उपलब्धता की स्थिति में कोटेशन उसी दिन खोले जाएंगे।

सहायक सचिव (प्रकाशन) कृतेः सचिव

अनुबंध—I

(यह पेज पूर्ण रूप से भरकर बोर्ड कार्यालय में वापिस भेजा जाना है।) कोटेशन नोटिस संख्याः— 1014/प्रकाशन दिनांकः— 05/02/2025 मुद्रण एवं आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची

| क्र0 सं0 | आईटम का नाम व विवरण | आकार एवं मुद्रण | मात्रा | समयावधि | प्रयोग किए जाने वाले कागज का विवरण | दरें सभी करों सहित व भिवानी में बोर्ड भण्डार कक्ष में जमा करवाने सहित है। |
|-------------|---|--|--|---------|--|--|
| 1. | Instruction Booklet for Center Supdt./Invigilator | 9" ×11½" Both side Printing. Two leaf single side printing in four color. Title cover single side printing in four color with lamination as per MSS. Booklets wire stitched in two places. | 1700 Booklets (10 leaves each booklet & title cover extra) | 05 days | i) Maplitho paper 80 GSM of A Grade Paper any reputed Mill to be used by the printer for text leaves. ii) Appropriate size of Art paper of 170 GSM with lamination of reputed mill to be used by the printer for title. | Rs (in words) |

यह प्रमाणित किया जाता है कि कोटेशन नोटिस के अनुबंध—! व !! के सभी निर्देश, नियम और शर्ते स्वीकार्य हैं और मेरे द्वारा अनुबंध—! में दी गई दरें 01 वर्ष तक वैध रहेगी।

| 1. | कोटेशनकर्त्ता का नाम | | |
|-----|---|--|--|
| 2. | फर्म / एजेंसी का नाम | | |
| 3. | , , फर्म / एजेंसी का पता | | |
| 4. | पैन नम्बर | | |
| 5. | जीएसटी नम्बर (अनिवार्य) | | |
| 6. | मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी | | |
| 7. | फर्म / एजेंसी की पंजीकरण संख्या | | |
| 8. | बैंक का नाम जिसमें कोटेशनकर्त्ता का खाता है | | |
| 9. | बैंक की शाखा का नाम | | |
| 10. | कोटेशनकर्त्ता का खाता नम्बर | | |
| 11. | बैंक की शाखा का आईएफएससी कोड | | |
| 12. | मेरी / हमारी फर्म / एजेंसी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा या अन्य किसी सरकारी विभाग / एजेंसी से वाद—विवादित / प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्टिड नहीं है। | | |

कोटेशनकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित

अनुबंध—॥

कोटेशन के लिए नियम व शर्तें:-

- मुद्रित करवाई जाने वाली सामग्री/सामान के प्रारूप प्रकाशन शाखा के कार्यालय में 1. किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते हैं।
- मुद्रित करवाई जाने वाली सामग्री/सामान की दरें अनुबंध—I में दी जानी है तथा दरें 2. संभी टैक्स सहित व भिवानी में बोर्ड भण्डार कक्ष में जमा करवाने सहित है। कोटेशनकर्त्ता द्वारा दरों को अंकों एवं शब्दों में भरा जाना है। दरों को भरने के बाद अनुबंध-I को बोर्ड कार्यालय की ई-मेल आईडी ratesbseh@gmail.com पर वापिस भेजा जाना है।
- कोटेशन का समय / दरें एक साल तक मान्य होंगी। सूची में दिए गए कार्य के अतिरिक्त 3. आदेश-पत्र की तिथि से एक वर्ष तक इसी दर पर समान विशिष्टताओं वाली अन्य मुद्रण सामग्री / सामान का कार्य भी सहमति के आधार पर दिया जा सकता है।
- फर्म / मुद्रक की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। 4.
- बोर्ड कार्यालय द्वारा सामग्री / सामान की मात्रा घटाई / बढाई जा सकती है। 5.
- कार्य न्यूनतम दरों पर सौंपा जाएगा। यदि पहली फर्म द्वारा सौंपा गया कार्य सम्पन्न नहीं 6. किया जाता है तो उस अवस्था में दूसरी न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्य सौंप दिया जाएगा और दरों में जो भी अंतर होगा वह पहुँ कि फर्म से वसूल किया जाएगा। यदि फर्म द्वारा दरों का अंतर जमा नहीं करवाया जाता है तो सचिव, ह0 वि0 शि0 बोर्ड फर्म को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
- कार्य आदेश-पत्र सौंपे जाने की तिथि से अगले दिन से कार्य आरम्भ करने की तिथि 7. मानी जाएगी। प्रुफ पढ़ने का समय कार्य पूर्ण करने के लिए दिए गए समय से अतिरिक्त देय होगा।
- संलग्न सूची में दर्शाया गया कार्य दिए गए समय में सम्पन्न करना होगा और कार्य में 8. विलम्ब होने की स्थिति में बिल में निम्नानुसार कटौती की जाएगी:-
 - 2 दिन तक देरी के लिए शेष मात्रा की कीमत का 2 प्रतिशत।
 - 5 दिन तक देरी के लिए शेष मात्रा की कीमत का 5 प्रतिशत। ii)
 - 10 दिन तक देरी के लिए शेष मात्रा की कीमत का 10 प्रतिशत। iii)
 - 15 दिन तक देरी के लिए शेष मात्रा की कीमत का 15 प्रतिशत। iv)
 - 15 दिन से ऊपर देरी के लिए शेष मात्रा की कीमत का 30 प्रतिशत।
- यदि कागज का वजन दिए गए सामग्री / सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची से कम पाया 9. जाता है तो निम्नानुसार कटौती की जाएगी:
 - i) 1 से 3 ग्राम कम पाए जाने पर बिल की राशि का 3 प्रतिशत।
 - ii)
 - iii)
 - 8 ग्राम से ऊपर कम पाए जाने पर बिल की राशि का 15 प्रतिशत। iv)

अनुबंध—II

- 10. यदि कार्य में मुद्रण/सिलाई/बाईण्डिंग इत्यादी सम्बन्धी गलती पाई जाती है तो निम्नानुसार कटौती की जाएगी:
 - i) मुद्रण की गलती, खराब गुणवत्ता, चिपकाने / स्टैपलिंग सम्बन्धी गलती, क्रमांक की गलती इत्यादी होने पर 25 पैसे प्रति गलती, प्रति कागज कटौती की जाएगी।
 - ii) कम आपूर्ति, कटी—फटी, गुम इत्यादी पाए जाने पर मुद्रक द्वारा उसी संख्या में सामग्री/सामान को बदला जाए या जितनी मात्रा में सामान/सामग्री कम/कटी—फटी/गुम पाई जाती हैं उस अवस्था में उतनी ही मात्रा की मूल कीमत की दुगनी कटौती की जाएगी।
 - iii) यदि दिए गए सामग्री / सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची से कागज का साईज छोटा पाया जाता है तो बिल की राशि में से एक प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
- 11. यदि मुद्रित सामग्री/सामान दिए गए सामग्री/सामान के विशिष्टताओं की अनुसूची अनुसार नहीं पाई जाती है या प्रयोग में लाए जाने योग्य नहीं है तो सचिव, ह0वि0शि0बोर्ड द्वारा सप्लाई किए गए माल को अस्वीकृत किया जा सकता है। अस्वीकृत सामग्री/सामान के स्थान पर दोबारा से सही सामग्री/सामान तैयार करके 5 दिनों के अन्दर—अन्दर या सचिव द्वारा दिए गए समय में बिना शुल्क के बोर्ड कार्यालय में जमा करवाना होगा। यदि फर्म सामान उपलब्ध करवाने में असफल हो जाती है तो सचिव के पास अधिकार होगा कि वह फर्म को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
- 12. यदि बिल का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो जुर्माने की राशि की वसूली फर्म के किसी भी लम्बित/बाद के बिल से की जा सकती है।
- 13. फर्म द्वारा बिल के साथ एम0एस0एस0 व प्रूफ बोर्ड कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यदि फर्म द्वारा ये दस्तावेज जमा नहीं करवाए जाते हैं तो उस सामग्री/सामान के सौंपे गए कार्य की राशि का 1 प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा।
- 14. जो कोटेशन उपरोक्त शर्तों के अनुरूप नहीं है उन्हें बिना किसी विचार के अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- 15. फर्म / एजेंसी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा या अन्य किसी सरकारी विभाग / एजेंसी से वाद—विवादित / प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्टिड नहीं होनी चाहिए।
- 15. कोटेशन से पहले व बाद में नियम व शर्तों में बदलाव/छूट, कोटेशन रद्द करने, सप्लाई आदेश रद्द करने,िकसी भी विवाद के लिए व यदि कोई बिन्दू नियम व शर्तों में नहीं है तो उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को होगा व फर्म के लिए बाध्यकारी होगा।